



127

श्री शश्वत शर्मा एडवोकेट PBR/किगरानी/नीमच/शु.सं/2017/3668
माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,
ग्वालियर, सर्किट बैच उज्जैन संभाग उज्जैन

20/8/17

मं प्र ०

प्रकरण कमांक

बाबूलाल पिता सुक्खाजी उर्फ सुखराम नायक,
निवासी- ग्राम निपानिया आबाद,
तहसील नीमच जिला नीमच संभाग उज्जैन म.प्र.पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

Signature

1. मध्यप्रदेश शासन,
जिला नीमच
2. भेरुसिंह पिता केसरसिंह राजपूत
3. किशनसिंह पिता केसरसिंह राजपूत,
4. खुमानसिंह पिता केसरसिंह राजपूत,
5. गोरधनसिंह पिता केसरसिंह राजपूत,
6. गटूसिंह पिता केसरसिंह राजपूत,
7. दलपतसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत,
8. सज्जनसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत,
9. मानसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत,
10. शंभूसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत
समस्त निवासी- ग्राम निपानिया आबाद,
तहसील नीमच जिला नीमच म.प्र. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश श्रु
राजस्व संहिता 1959

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
उपखण्ड नीमच द्वारा प्रकरण कमांक
48/अपील/2016-17 बाबूलाल विरुद्ध
मध्यप्रदेश आदि में पारित आदेश दिनांक
11/08/2017 से व्यथित एवं असंतुष्ट
होकर।

मान्यवर महोदय,

सेवा में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से आवेदन पत्र निम्नवत् प्रस्तुत है-

मामले के तथ्य

Signature

(15)



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग अ

शुभम शर्मा

राजस्व मंडल का प्रकरण क्रमांक:PBR/निगरानी/नीमच/भू-रा./2017/3668....

तहसील:

जिला:नीमच....

पुर्न/पुनर्विलोकन में राजस्व मंडल का
प्रकरण :

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:

कलेक्टर के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक:

अनुविभागीय पदाधिकारी का प्रकरण
क्रमांक :49/अपील/2016-17,....

तहसील का प्रकरण क्रमांक:

यदि कोई अन्य न्यायालय हो तो :

वाद का विषय:निगरानी....

अधिनियम एवं धारा जिसके अंतर्गत
प्रकरण यहाँ प्रस्तुत हुआ है :म.प्र.भू.रा.संहिता.....

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला....नीमच.... ।के मूल/अपीलीय आदेश दिनांक : ...11/08/2017... के विरुद्ध ...बाबूलाल...।...मध्यप्रदेश शासन, भेरूसिंह, किशनसिंह, खुमानसिंह, गोरधनसिंह, गट्टसिंह, दलपत सिंह, सज्जन सिंह, मानसिंह, शंभू सिंह...।...एश्वर्य शर्मा... के अभिभाषक द्वारा निगरानी - पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।</p> <p>प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांकहै। जिसकी सूचना आपको एस.एँम.एस. से दी जा चुकी है।</p> <p>आवेदक बाबूलाल श्री एश्वर्य शर्मा उपरोक्त आदेश के विरुद्ध जिला न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस जाया गया। जिला न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है।</p>	<p><i>शुभम शर्मा</i> 22-12-17</p>